न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 110 वर्ष 2022

आवेदक–सोमर तुरी वगैरह
ग्राम – घरवाटॉड टोला बालूडीह
थाना – पेटरवार जिला–बोकारो

क्रेता– विकास कुमार दास वगैरह
ग्राम –करमाटॉड टोला छप्परगढा
थाना –पेटरवार जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 03
04/07/23		

आदेश

यह वाद आवेदकगण 01. सोमर तुरी 02. लालधारी तुरी 03. गुडरा तुरी तीनों के पिता स्व0 जानकी तुरी 04. रितवरन तुरी पिता स्व0 रूपलाल तुरी निवासी ग्राम घरवाटॉड टोला बालूडीह थाना पेटरवार जिला –बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क))/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
घरवाटॉड	42	50	2720	163 डी0	3½ डी0	आ0 योग्य
	42	50	2720	22 डी0	03 डी0	

को वे अपने मकान मरम्मत हेतु मो0 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) रूपये में क्रेता– 01. विकास कुमार दास पिता सहदेव दास 02. कमल कुमार दास पिता सहदेव रविदास निवासी ग्राम घरवाटॉड टोला छप्परगढा थाना पेटरवार जिला– बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 376/रा0 दिनांक 21.02.2023 के माध्यम से अंचल अधिकारी, पेटरवार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, पेटरवार के पत्रांक 431 दिनांक 06.05.2023 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेता तुरी एवं क्रेता चमार जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता ग्राम घरवाटॉड टोला बालूडीह एवं केता ग्राम घरवाटॉड दोनो थाना–पेटरवार जिला–बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में तुला वल्द बालक कौम तुरी वगैरह के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी श्यामलाल वो रितवरण तुरी के नाम से पंजी– सं0 181/1 एवं 140/3 में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2022–2023 तक निर्गत है। बिकेता को यह भूमि पूर्वज से हासिल है।
03. जमाबंदीधारी रैयत से बिकेता का संबंध परदादा–पोता का है। बिकी वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है जिसपर बिक्रेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। विक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके पूर्वज तुला वल्द बालक कौम तुरी के नाम से

दर्ज है तथा जमाबन्दी श्यामलाल तुरी तो रितवरण तुरी के नाम से चल रही है। बिक्री वाली जमीन स्वयं की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे है।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:–

01. विक्रेता– तुला वल्द बालक के नाम सर्वेखतियान की छायाप्रति, रितवरन तुरी के नाम केवाला की छायाप्रति, श्यामलाल तुरी के नाम लगान रसीद की छायाप्रति, रितवरन तुरी के नाम लगान रसीद की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता– जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी पेटरवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता तुरी एवं केता चमार जाति के सदस्य. हैं जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं तथा बिकेता ग्राम घरवाटॉड टोला बालूडीह एवं केता ग्राम घरवाटॉड दोनों एक ही थाना एवं जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के खतियानी जमीन एवं केवाला जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदकगण 01. सोमर तुरी 02. लालधारी तुरी 03. गुडरा तुरी तीनों के पिता स्व0 जानकी तुरी 04. रितवरन तुरी पिता स्व0 रूपलाल तुरी निवासी ग्राम घरवाटॉड टोला बालूडीह थाना पेटरवार जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
घरवाटॉड	50	2720	163 डी	3½ डी0	गणपत रविदास वगैरह	रिंकु देवी पति उतम जयसवाल	गणपत रविदास. वगैरह	सडक
	50	2720	22 डी0	03 डी0				
कुल 6½डी0 (छः पूर्णाक एक बटा दो डिसमिल जमीन मात्र।)								

मो0 1,39,400/– (एक लाख उनचालीस हजार रूपये) या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता–01. विकास कुमार दास पिता सहदेव रविदास 02. कमल कुमार दास पिता सहदेव दास निवासी ग्राम घरवाटॉड टोला छप्परगढा थाना पेटरवार जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by SADANAND MAHTO
Date: 2024.09.04 12:31:06 +05:30
Location: 192.168.202.43

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।